प्रतिलिपि पत्र संख्या–सम्ब0 898/सत्तर–6–2013–2(738)/2013 दिनांक 16.11.2013 द्वारा अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./4305/2013, दिनांक 25.10.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन पूज्य भाऊराव देवरस महाविद्यालय, मुक्तापुर, सरवनखेड़ा, कानपुर देहात को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम तथा कला संकाय के अन्तर्गत अंग्रेजी साहित्य एवं राजनीतिशास्त्र अतिरिक्त विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2013 से आगामी तीन वर्षो हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय प्रपत्र–बी में इंगित याचित पाठ्यक्रमों/विषयों के अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या, सा[illegible] एवं वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है, से सम्बन्धित कमियों को पूरा कर लेगा।
2. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/5059/2013 दिनांक 31-12-13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक/सचिव, पूज्य भाऊराव देवरस महाविद्यालय, मुक्तापुर, सरवनखेड़ा, कानपुर देहात को उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुसार सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तो का अनुपालन करने हेतु प्रेषित है। स्नातक स्तर पर वणिज्य संकाय के अन्तर्गत 02 सेक्शन (60 सीट प्रति सेक्शन) कुल 120 सीट्स तथा कला संकाय के अन्तर्गत अंग्रेजी साहित्य एवं राजनीतिशास्त्र विषयों हेतु 01–01 सेक्शन (प्रति सेक्शन 60 सीट) कुल 120 सीट्स निर्धारित की जाती है।
2. उप कुलसचिव (परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. सहायक कुलसचिव (सम्ब0), सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(सय्यद [illegible] हुसैन)
कुलसचिव